यह सुनिश्चित करना कि अंचल में संघ की गतिविधियां, उद्देश्यों एवं रणनीति के अनुरूप, सुचारू, कार्यक्षम व प्रभावी हैं।

वार्षिक दायित्व –

1. कम से कम 2 बार आंचलिक प्रवास करना।
2. क्षेत्रीय सम्मेलन, आंचलिक बैठकों का आयोजन करना एवं अपने अंचल की प्रगति की समीक्षा करना।
3. अंचल में स्थापित स्थायी संपत्ति का निरीक्षण करना।
4. कार्यसमिति बैठक, आमसभा, विशेष आमसभा, राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित रहकर अपने अंचल के कार्यों को प्रस्तुत करना।
5. स्वयं की खोज फार्म के माध्यम से आंचलिक टीम का गठन करना जिससे व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसे कार्य का प्रभार मिल सके।

अर्द्धवार्षिक दायित्व –

अपने अंचल में राष्ट्रीय मंत्री, कार्यसमिति सदस्यों, स्थानीय संघ के अध्यक्ष/मंत्री के साथ प्रवास; व्यक्तिगत संपर्क व सभाओं द्वारा संघ की प्रभावना।

त्रैमासिक दायित्व –

1. अपने अंचल के कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा करना।
2. संघ की विभिन्न योजनाओं व प्रकल्पों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन।

मासिक दायित्व –

केन्द्रीय संघ से प्राप्त आंचलिक मासिक रिपोर्ट का विश्लेषण कर अपने सुझाव देना; अंचल की गतिविधियों में सुधार करना।

सामान्य दायित्व –

1. अपने अंचल में स्थानीय संघों के अध्यक्षों/मंत्रियों से वार्तालाप कर संघ प्रवृत्तियों के कार्यान्वयन/प्रगति का जायजा लेना तथा उनको बढ़ावा देने हेतु सुझाव प्राप्त करना।
2. अपने अंचल में कार्यरत कार्यसमिति सदस्यों से माह में एक बार अनिवार्य रूप से भेंट करना, उनके द्वारा सम्पन्न कार्यों का विवरण प्राप्त करना। उनके सुझावों पर विचार–विमर्श करना तथा उनकी मध्यस्थता से जो शिकायत/समस्या निस्तारित हुई हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना।
3. केन्द्रीय संघ द्वारा आयोजित प्रवास, सभा व अन्य कार्यक्रमों में शामिल होकर सहयोग प्रदान करना।

राष्ट्रीय मंत्री

अंचल के प्रबंधन एवं विकास में राष्ट्रीय मंत्री की अहम भूमिका है क्योंकि अंचल में संघ प्रभावना तथा सुशासन राष्ट्रीय मंत्री की सक्रियता, सजगता व सहयोग पर निर्भर है। अंचल के प्रभावी व कुशल कार्यचालन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को सक्रिय सहयोग प्रदान करना तथा स्वयं पहल करते हुए कार्य की गतिशीलता बरकरार रखना राष्ट्रीय मंत्री का प्रमुख रोल है। अंचल में किसी स्तर पर संपर्क अवरुद्ध न हो, इसमें राष्टीय मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दायित्व निवर्हन में सक्रियता से निरंतर सहयोग करना।
2. केन्द्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रवास करना, स्थानीय स्तर पर समस्याओं/कठिनाइयों का निवारण करना।
3. अ. आंचलिक स्तर पर निर्धारित समय के अनुसार बैठकें आयोजित करना।
   ब. वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, क्षेत्रीय सम्मेलन, क्षेत्रीय बैठक, आंचलिक बैठकों का योजनाबद्ध एवं प्रभावी रूप से आयोजन करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि अपने अंचल में सभी पदाधिकारी संघ के कार्यों में सक्रिय योगदान दें। लक्ष्य आधारित कार्य सौंपना।
5. अपने अंचल की त्रैमासिक रिपोर्ट की समीक्षा करना एवं कार्यसमिति में प्रस्तुत करना।
6. विभिन्न प्रवृत्ति संयोजकों से समन्वय तथा संपर्क रखना।
7. केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त मासिक रिपोर्ट की समीक्षा करना, अपने सुझाव देना।
8. त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय संघ को प्रस्तुत करना।
9. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से चर्चा करना। अपने क्षेत्र के कार्यसमिति सदस्य को लक्ष्य–आधारित कार्य आबंटित करना और त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त करना।
10. कार्यसमिति सदस्यों को भी गांव/शहर आबंटित कर प्रवृत्तियों की प्रभावना करते रहने के लिए उत्साहित करना।
11. नियमित रूप से फॉलोअप एवं फीडबैक प्राप्त करना।

प्रवृत्ति संयोजक

राम चमकते भानु समाना

प्रवृत्ति संयोजक का रोल है प्रवृत्ति का कार्यान्वयन व संचालन, इस हेतु सह संयोजक को दिशा–निर्देश देना, प्रवृत्ति के अंतर्गत गतिविधियों को प्रवाहमान रखना, निर्धारित लक्ष्य समक्ष रखते हुए कार्यों का मूल्यांकन करना व प्रवृत्ति को सफल बनाना।

वार्षिक दायित्व :–

1. आमसभा, विशेष आमसभा, समीक्षा बैठक, अधिवेशन में उपस्थित रहना एवं संघीय विकास परिचर्चा में सक्रियता से भाग लेना।
2. प्रवृत्ति के आय–व्यय हेतु अर्थ सहयोग की व्यवस्था करना।
3. समीक्षा बैठक / प्रवृत्ति संयोजक बैठक आदि में प्रवृत्ति के वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा करना और अपने विचार व्यक्त करना।
4. वर्ष में कम से कम एक बार केन्द्रीय संघ के पदाधिकारियों के साथ प्रवास करना – जिससे स्थानीय स्तर पर प्रवृत्ति के संचालन का आंकलन किया जा सके।
5. क्षेत्रीय सम्मेलनों, संयुक्त सभाओं में प्रवृत्ति पर विश्लेषणात्मक प्रस्तुति देना।

अर्द्धवार्षिक दायित्व –

1. प्रवृत्ति संचालन के प्रगति की समीक्षा करना।

त्रैमासिक दायित्व –

1. केन्द्रीय संघ से प्राप्त त्रैमासिक रिपोर्ट का अवलोकन एवं विश्लेषण करना। उपाध्यक्ष / मंत्री के साथ समन्वयन करके प्रवृत्ति को गतिशील बनाना।

मासिक दायित्व –

1. कार्यसमिति सदस्यों से लगातार सम्पर्क में रहकर अपनी प्रवृत्ति की प्रगति की समीक्षा करना।
2. प्रवृत्ति के सुधार व विकास के लिए प्रयासरत रहना।
3. समय–समय पर प्रवृत्तियों का मूल्यांकन स्थानीय स्तर पर करना। यदि आवश्यक हो तो समस्याओं के निवारणार्थ हस्तक्षेप करना।

कार्यसमिति सदस्य

राम चमकते भानु समाना

कार्यसमिति संघ का एक शीर्ष निकाय है। संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यनीति तैयार करने में इसका अहम रोल है। प्रत्येक कार्यसमिति सदस्य का यह दायित्व है कि कार्यसमिति के सुदृढ़ीकरण में अपना रचनात्मक योगदान दे।

वार्षिक दायित्व – आमसभा, विशेष आमसभा, समीक्षा बैठक, अधिवेशन में उपस्थित रहना एवं संघीय विकास हेतु परिचर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना।

अर्द्धवार्षिक दायित्व – क्षेत्रीय सम्मेलन, क्षेत्रीय बैठक में उपस्थित रहना और आंचलिक स्तर पर कार्य की समीक्षा करना।

त्रैमासिक दायित्व –

1. नियमित रूप से कार्यसमिति बैठक में उपस्थित रहना एवं संघीय विकास हेतु परिचर्चा में सक्रिय रूप से प्रतिभागी होना।
2. नवीन योजनाओं हेतु सुझाव देना, परिचर्चा में भाग लेना।
3. अपने अंचल की आंतरिक समस्याओं का निवारण करना एवं आवश्यक हो तो त्रैमासिक कार्यसमिति बैठक के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करना।

मासिक दायित्व –

1. अर्थ सहयोग के प्रयासों में सक्रिय सहभागिता।
2. संघ के किसी एक आयाम अथवा एक योजना जिसकी स्वीकृति कार्यसमिति सदस्य द्वारा दी गई हो उसमें दक्षता लाने हेतु केन्द्रीय संघ को रणनीतिक सुझाव देना एवं अपने अंचल के स्थानीय संघ से सम्पर्क में रहना।
3. यह सुनिश्चित करना कि संघ के कार्य विधानसम्मत लागू हो रहे हैं एवं कार्यों के संचालन की देखरेख करना।
4. संघ की प्रवृत्तियों में संख्यात्मक व गुणात्मक प्रगति हेतु राष्ट्रीय महामंत्री को सुझाव देना।

सामान्य दायित्व –

1. राष्ट्रीय मंत्री से समन्वयन एवं चर्चा करते हुए आवंटित क्षेत्रों, गावों व शहरों में प्रवृत्ति प्रभावना को संबल प्रदान करना एवं लक्ष्य उन्मुख नीति से कार्य सम्पन्न करना।
2. संबंधित क्षेत्र में स्थापित स्थानीय संघों से परस्पर संपर्क, संवाद, परिचर्चा व फीडबैक प्राप्ति।
3. अपने क्षेत्र के त्रैमासिक प्रतिवेदन (Quarterly Report) के संकलन व प्रस्तुति में सक्रिय भूमिका; निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट राष्ट्रीय मंत्री को उपलब्ध करवाना।
4. अपने अंचल में स्थानीय संघों के अध्यक्षों/मंत्रियों से वार्तालाप कर संघ प्रवृत्तियों के क्रियान्वयन/प्रगति का जायजा लेना तथा उनको बढ़ावा देने हेतु सुझाव प्राप्त करना।
5. अपने अंचल में कार्यरत कार्यसमिति सदस्यों से माह में एक बार अनिवार्य रूप से भेंट करना,
6. विभिन्न प्रवृत्तियों की प्रभावना हेतु प्रवृत्ति वार कार्यकर्ता निर्धारित करना।
7. मीडिया से संपर्क करने के लिए एक कार्यकर्ता का चयन करना।

(**नोट :** विधान के अनुच्छेद 10 (IX) (ग) में निम्न प्रावधानित है– "यदि कार्यसमिति सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना अपरिहार्य/महत्त्वपूर्ण कारण दर्शाए अनुपस्थित रहता है तो उसे कार्यसमिति से पदमुक्त समझा जाएगा।")

स्थानीय अध्यक्ष/मंत्री

राम चमकतो भानु समाना

स्थानीय स्तर पर संघ के प्रमुख अधिकारी हैं व संघ की प्रभावना, प्रबंधन, कार्यचालन में इनकी अहम भूमिका है। श्रीसंघ की शक्ति स्थानीय इकाइयों की मजबूती में ही है।

वार्षिक दायित्व –

1. ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन शिविरों का स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक आयोजन करने का भाव रखना एवं ज्ञान की प्रभावना हो इस हेतु कार्यसमिति सदस्य, प्रवृत्ति संयोजक तथा केंद्रीय संघ के संपर्क में रहना।
2. आचार्य श्री नानेश जयंती, गुरु समर्पणा महोत्सव, भगवान महावीर जयंती एवं आचार्य श्री रामेश जन्मोत्सव, वर्तमान आचार्य का युवाचार्य व आचार्य पदारोहरण दिवस, उपाध्याय प्रवर पदारोहण दिवस एवं अन्य पर्वों पर भी तपस्या एकासना आदि की अच्छी प्रभावना हो ऐसा लक्ष्य रखना। इसकी सूची बनाकर केन्द्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराना।
3. स्थानीय स्तर पर दानपेटियों की सूची रखना एवं सभी परिवारों में दानपेटियां लगें, ऐसा लक्ष्य रखना। सभी परिवारों को इदं न मम से जोड़ने का लक्ष्य रखना।
4. नियमित रूप से समीक्षा बैठक, अधिवेशन इत्यादि में उपस्थित रहना एवं संघीय विकास की परिचर्चा में सक्रिय सहभागिता करना।

त्रैमासिक/चार माह दायित्व –

संघ का चार माह का प्रतिवेदन यथासमय केन्द्रीय कार्यालय को प्रेषित करना।

अन्य दायित्व –

1. वीर परिवार, मुमुक्षुओं की सेवा–सुश्रूषा व सार–संभाल करना।
2. अपने नगर के साधुमार्गी घरों की जानकारी रखना।
3. विहार सेवा हेतु प्रत्येक परिवार के सदस्यों की विहार सेवा बारी–बारी से बनाना और विहार में सेवा देने के लिए प्रोत्साहित करना।
4. जो श्रावक – श्राविका ज्ञान–ध्यान में आगे हैं उन्हें सही मंच उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय संघ से उनका संपर्क करवाना।
5. विभिन्न प्रवृत्तियों की प्रभावना हेतु प्रवृत्तिवार कार्यकर्ता निर्धारित करना।
6. इसके अलावा एक सक्रिय कार्यकर्ता चयनित किया जाए जो मीडिया से संपर्क करें।

त्रैमासिक / मासिक

समय–समय पर अपने क्षेत्र में निम्न कार्यों की समीक्षा करना एवं उनके संचालन को गति प्रदान करना।

1. संघ की श्रमणोपासक, साहित्य, साधारण, आजीवन सदस्यता।
2. इदं न मम एवं दानपेटी।
3. धार्मिक परीक्षाएं, श्रुत आराधक, जैन संस्कार पाठ्यक्रम।
4. उत्क्रान्ति।

5. मुमुक्षु परिवार एवं भाई–बहन।
6. पाठशाला, विद्यार्थी, पुरस्कार निरीक्षण।
7. समता संस्कार शिविर आयोजन।
8. राष्ट्रीय पर्व पर संवर, पौषध, दया, तेला

केन्द्रीय कार्यालय से सहयोग (Support System)

1. अंचल से संबंधित डेटाबेस उपलब्ध करवाना।
2. समय–समय पर प्रत्येक प्रवृत्ति की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
3. अन्य सहयोग

विशेष :-

1. ऐसे प्रतिभाशाली निष्ठावान कार्यकर्ताओं की शिनाख्त करना जो आगामी वर्षों में दायित्व–निर्वहन सक्षम रूप से कर सकें। उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करना।
2. चयनित कार्यकर्ताओं को, जो भविष्य में उच्च पदों को ग्रहण करने का सामर्थ्य रखते हों, गुणात्मक विकास का अवसर प्रदान करें।
3. उनके गुणों व कौशल की जानकारी केंद्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

उक्त दायित्व निर्वहन के अलावा निम्न कार्यों को सम्पन्न करना सभी पदाधिकारियों से अपेक्षित है।

1. आचार विशुद्धि महोत्सव के विभिन्न प्रकल्पों की प्रभावना।
2. संवाद, प्रवास, प्रस्तुति, परिचर्चा, शिविर से एक राष्ट्रव्यापी माहौल बनाने का प्रयास।
3. संघ कार्यों में निरन्तरता लाना एवं संघ की प्रवृत्तियों में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि का प्रयास।
4. संघ में जीवन्तता एवं आत्मीयता बढ़ाकर प्रवास में सहयोग।
5. कम सक्रिय या सुसुप्त संघों को प्राथमिकता के आधार पर सक्रिय करना। नवगठन व पुनर्गठन की संभावना तलाश कर संघों में सक्रियता लाना।
6. साधुमार्गी परिवारों को संघ से जोड़ना।
7. सदस्यों में अपनत्व, सौहार्द लाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना।
8. जमीनी स्तर पर संघ प्रवृत्तियों की प्रभावना करना, शंका का समाधान करना एवं भ्रांतियों को दूर करना।
9. साधुमार्गी पर्वों पर धर्म की प्रभावना।
10. पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मौका देकर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्लेटफार्म देना।
11. पूर्व पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ, अनुभवी सदस्यों का मार्गदर्शन सविनय प्राप्त करना, उसका संघ की गतिविधियों की प्रभावना में लाभ उठाना।